भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2136
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को दिया जाना है

कोर क्षेत्र को महत्व दिया जाना

2136. श्री सी. आर. पाटील:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोर क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी या मेक इन इंडिया को महत्व देने के लिए भारतीय भारी अभियांत्रिकी क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या स्वदेशी माल उपलब्ध होने पर भी भारी अभियांत्रिकी माल के आयात को एफ.टी.ए. के अंतर्गत शून्य शुल्क पर अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय विनिर्माताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए आयात शुल्क पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) जी, हां। मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण, निर्माण मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग की उद्योग एसोसिएशनें सरकार की विशिष्ट अधिसूचनाओं के कारण एफटीए प्रभावित आयातित उपकरणों पर शुल्क की कम दर के साथ-साथ शून्य शुल्क के विरूद्ध समान स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए मुद्दे उठा रही हैं। इस स्थिति के कारण क्षमता का उपयोग कम होता है तथा संसाधनों की कमी हो जाती है जिनका वे अपने संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी की खरीद/अनुसंधान और विकास आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन उद्योग एसोसिएशनों ने इस विभाग को बजट-पूर्व ज्ञापन में अपनी चिंताओं और सुझावों से अवगत कराया है, जिनकी जांच की गई है तथा इन्हें वित्त मंत्रालय को विचारार्थ अग्रेषित किया गया है।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि "एफटीए दो या अधिक देशों या व्यापार करने वाले ब्लॉकों के बीच समझौते हैं जिनमें उनके मध्य वास्तविक व्यापार पर लगने वाले सीमा-शुल्क और शुल्क के अतिरिक्त अवरोधों को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमति होती है। घरेलू उद्योग तथा कृषि क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए, इन समझौतों में मदों की संवदेशनशील/निषेधात्मक सूचियां बनाए रखने की व्यवस्था है जिन पर एफटीए के तहत शुल्क में सीमित रियायत दी जाती है या कोई रियायत नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आयातों में तीव्र वृद्धि और घरेलू उद्योग को हानि होने की स्थिति में, किसी देश को एंटी डंपिंग और संरक्षण जैसे उपाय करने की अनुमति होती है। प्रत्येक एफटीए में समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं। ये सामान्यत: नियत समय-अंतराल पर किए जाते हैं तथा ऐसी समीक्षा करने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र है। उद्योगों के साथ अंशधारकों को एफटीए के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक बनाने के लिए नियमित आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अलग-अलग देशों के साथ एफटीए में विभिन्न हेवी इंजीनियरी वस्तुओं को शुल्क की अलग-अलग रेंज में शामिल किया गया है। भारत और दूसरे देशों के बीच अनेक एफटीए में शून्य शुल्क पर ऐसे उत्पाद, जो भारत में बनाए जाते हैं, के आयात की अनुमति है। उदाहरण के लिए, भारत और कोरिया के बीच समझौते में इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीनरी, प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण जैसे हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल, कूलिंग टावर, भंडारण टैंक आदि; बुलडोजर, एक्सकेवेटर, शॉवेल लोडर; तेल के कुएं खोदने की मशीनरी, कंबाइन हार्वेस्टर, वस्त्र मशीनरी जैसे कार्डिंग मशीन, कोम्बिंग मशीन, रोविंग मशीन, स्पिनिंग मशीन, वीविंग मशीन, ब्लीचिंग मशीन, डाइंग मशीन, फिनिशिंग मशीन आदि, मशीन टूल्स जैसे खराद, मशीनिंग सेंटर, ग्राइंडिंग मशीन, फोर्जिंग हैमर, हाइड्रोलिक प्रेस आदि कुछ उत्पाद भारत में विनिर्मित होने के बावजूद भी शून्य शुल्क पर आयात किए जाते हैं।

(ग) और (घ) समान अवसर प्राप्त करने की दृष्टि से आयात शुल्क की समीक्षा हेतु उद्योगों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई है और इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय और/या वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

*****